बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक : **31 दिसम्बर**, 2017

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16698/श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0 से0(2002), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना(अतिरिक्त प्रभार–बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14–₹1,44,200–2,18,200/–) में प्रोन्नति देते हुए सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16699/डॉ0(श्रीमती)प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा(2002), अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना{अतिरिक्त प्रभार–अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना} को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14–₹1,44,200– 2,18,200/–) में प्रोन्नति देते हुए वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती प्रतिमा वर्मा अगले आदेश तक अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16700/श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 (2002), विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान(सचिव ग्रेड–लेवल–14– ₹1,44,200–2,18,200/–) में प्रोन्नति देते हुए आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16701/श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0 (2005), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया(अतिरिक्त प्रभार– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें पटना जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार रवि अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16702/श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0(टी आर: 2006), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें गया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अभिषेक सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16703/श्री केशव रंजन प्रसाद,बि0प्र0से0, विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना(जो रिक्ति वर्ष–2014 की रिक्ति के विरुद्ध भा0प्र0से0 में नियुक्ति हेतु अनुशंसित हुए हैं) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.12.17

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)–सा0प्र0–16703/पटना–15,दिनांकः 31 दिसम्बर ,2017

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैंनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01,06, 12 एवं 19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. डॉ0(श्रीमती)प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा(2002) द्वारा वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पद को धारण किये जाने की तिथि से भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007(अद्यतन संशोधित) के नियम–9 (अनुसूची–II) के तहत उन्हें पदस्थापनकाल तक के लिए सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. सचिव ग्रेड में प्रोन्नत सभी पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

31.12.17

सरकार के अवर सचिव।